3705 Emergency Risks (Goods) [10 DEC 1962] Emergency Risks (Fac- 3706 Insurance Bill, 1962

only an enabling Bill which will authorise the Central Government to formulate any scheme for being enforced

Now, if we look to the clauses, we will see how this is proposed to be achieved Clause 1 is the usual short title, extent and commencement of the Bill There nothing in it Clause 2 deals with definitions That is a common thing Then, we come to clause 3, Clause 3, in fact, gives what is intended to be done It deals with the power to make schemes for relief in respect of personal injuries and personal service injuries

Now, as the House is aware, the country is passing through an emergency In October and November, the country was attacked by the Chinese and there were certain cases where personal injuries were inflicted persons not directly connected military operations When this scheme comes into force, it will mainly apply to these people

Then there is clause 4-relief from liability to pay compensation damages That is another enabling clause which will have to be put in the scheme when it is formulated

Then, another important clause is clause 6 which deals with attention in dispensaries and hospitals

I do hope that this Bill which is a very welcome Bill will find all support from this House

SHRI C R PATTABHI RAMAN Sir, I am grateful to Shri Bhargava for the support he has given, and I envisage support all round from House I am not surprised at the unanimity because as has been pointed out, this is a very essential measure in view of the emergency which we are now facing

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M GOVINDA REDDY) The question is

tories) Insurance Bill, 1962

"That the Bill to make provision for the grant of relief in respect of certain personal injuries sustained during the period of the emergency, as passed by the Lok Sabha be taken into consideration"

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (Shri M GOVINDA REDDY) We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

Shri C R PATTABHI RAMAN: Sir, I move

"That the Bill be passed"

The question was put and the motion was adopted.

- THE EMERGENCY RISKS (GOODS) INSURANCE BILL, 1962
- (II)THE EMERGENCY RISKS (FACTORIES) INSURANCE BILL, 1962

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B R BHAGAT) Sir, there are two Bills They are more or less the same, and if the House permits, we can take up the two Bills for consideration together, and I will make the two motions together

THE VICE-CHAIRMAN (Shri M GOVINDA REDDY) I think so The Bills can be taken up together

Shri M P BHARGAVA (Uttar Pradesh) Are they to be taken up together?

THE VICE-CHAIRMAN (Shri M GOVINDA REDDY) Yes, that is the proposal

SHRI B. R. BHAGAT: Sir. I move:

"That the Bill to make certain provisions for the insurance of goods in India against damage by enemy action during the period of emergency, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill has been with the hon. Members for some days and we have made an attempt, in the notes on clauses and other memoranda attached to it, to explain the basic framework of the scheme. I do not think, therefore, that it is necessary for me to make a long speech

This Bill is based essentially on the provisions of the corresponding Ordinance which was in force during the last war, which was itself drafted on the basis of the English Act. have considered it desirable to retain the general scheme and except for the purpose of removing obscurities or drafting lacunae, even language of the English law, as there is some advantage in doing so. The law relating to war risks insurance scheme is not yet familiar and wellfortunately because wars settled. have not become quite common; and the schemes, as they were in existence during the last war, are still relevant and useful as providing the necessary guidance in regard to matters of policy or interpretation.

The Bill has emerged from the House with two important changes. It was always our intention that the rate of premium under this scheme of insurance should be as low as practicable and that after the lapse of some time, during some experience of the working of the scheme had been obtained it should be reconsidered, so that any possible further reductions could be made. In view of this intention, it was not felt necessary at the beginning to provide in the Bill itself for any ceiling in respect of the premium rate.

In deference to the views expressed since the Bill was introduced, we agreed to mention the intended ceilings in the Bill itself. Within limits which have now been mentioned, the actual premium rates will be determined from time to time after taking into consideration the degree of risk, the accumulations in the insurance fund and other relevant considerations The position will be kept under review from time to time so that the burden on the industrialists, traders and the general public is no more than the unavoidable minimum.

Sir the other change made in the Bill by the Lok Sabha has been to reduce the limit at which the obligation to take out a compulsory scheme of insurance begins The minimum limit has operate. been brought down from Rs. 50,000, as originally proposed, to Rs. 30,000. This modification helps us to spread the risk, to the extent that it exists. still further, and thereby, perhaps. to reduce the premium below the rate at which it might otherwise have to be levied.

Even with a reduction in the limit for compulsory insurance, there will be many traders, stockists and other sellers of goods, who will be holding goods for sale below this limit and who may be anxious to get their goods insured, if not compulsorily, then at least on an optional basis. We are going to provide in the scheme for the grant of protection to such persons, subject to suitable conditions as regards the period for which the cover will be provided.

Sir, the object of this Bill is to ensure that in spite of the threat of action by the enemy and the risks of anv damage or loss of property as a result of the present hostilities, industry and trade, especially in the areas which are near the scene of any possible action, will continue to be unaffected and that production as well as the flow of commodities and ser-

3709Emergency Risks (Goods) [10 DEC. 1962] Emergency Risks (Fac- 3710 Insurance Bill, 1962 tories) Insurance Bill, 1962

vices will be uninterrupted. This is an important and desirable objective, and to the extent that businessmen, stockists and other owners of goods for sale co-operate with the Government, it can be achieved at a minimum cos: to our economy in resources and effort. I would appeal to all those who may be concerned with or interested in these schemes to extend such co-operation to the Government

With these words, Sir, I move this Bill for consideration.

Sir. I move:

"That the Bill to make provisions for the insurance of certain property in India against damage by enemy action during the period of emergency, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

During the last war, a scheme of insurance of goods against war risks was brought into force at a comparatively early stage and the factories insurance scheme came much later, after the war had been brought by the Japanese very close to the borders of India. We have considered it desirable on the present occasion to introduce the two schemes together as industrial property in the form of buildings, plant and machinery is as much in need of protection from the enemy as movable goods intended for sale.

We have made, Sir, two important changes in adapting the provisions of the law, as it was in force during the last war, for current needs. We have in the first place taken specific power to extend the scheme at Government's option, so as to cover the installations and equipment of the oil companies. As the House is aware, the oil mining, processing and distributing industry has been developed very rapidly in recent years, and it has been considered desirable that the benefits of the insurance scheme

should be extended to these companies, if necessary, in the same manner as in the case of factories.

We have also made some special provision for tea. This is our largest foreign exchange earner, and the industry, it also happens, is concentrated in areas which are very near the scene of any possible military action. In the normal course, the factory equipment and plant of the tea gardens might be insurable under the factories or goods insurance scheme as the case may be, but a peculiar problem which has been facing the tea gardens is that the growing crop is as much or even more important and has to be covered by insurance. The unplucked tea leaves, although these are the main asset of the gardens, are normally outside the scope of any scheme of insurance. This adds very considerably to the difficulties of the tea estates in the existing conditions, and as the problem is real and important, it demands a solution. We have considered it expedient in these circumstances to take the necessary power to extend this scheme so as to cover the growing tea crop, if this proves to be necessary.

The Members, I think, are aware of the amendment which has been made by the Lok Sabha in clause 3(3) (c) of this Bill to provide for a ceiling in regard to the premium which may be charged. I know that there is a feeling in certain quarters that even this ceiling may in practice be very high. I would like to take this opportunity therefore, to assure the House that the actual rates which may be charged will be decided from time to time after taking into consideration the degree of risk, the accumulations in the fund, and other relevant considerations,

We are starting this insurance scheme today without a reasonably adequate idea of the value of the property which can, or will be, covered under this scheme. As time passes, we are bound to acquire some more

[Shri B. R. Bhagat.] precise knowledge of our obligations, and a closer estimate of the premium revenue which we are likely to obtain may also be available. If any premium which is notified in the scheme, when it is first brought into force, turns out to be too high, or unnecessarily burdensome from the point of view of industry, the position can easily be reviewed. It is our intention, as a matter of fact, that this review should be conducted at regular intervals, and perhaps after every quarter.

While we are anxious to ensure that the insurance fund will be self-sufficient and that there will be no net burden on the whole on the tax-payer on whom there may be other claims, we are also alive to the fact that this scheme has to be operated as an insurance scheme and not as a taxation measure.

This Bill, Sir, is an emergency measure, but it provides for a scheme which can be modified in the light of changing needs and circumstances. Our object in promoting this legislation is merely to help and assist the Indian economy, and I am surce that we will continue to bear this in view throughout the period for which the scheme may be in force.

Sir, I move this Bill for consideration.

The questions were proposed.

श्री कृष्ण चन्द्र (उत्तर प्रदेश): उप- सभाध्यक्ष महोदय, सरकार इस सदन के सामने जो बिल लाई है उसको देख कर इस सदन को ही नहीं, बिल्क सारी जनता को संतोष होगा कि सरकार चीनी ब्राक्रमण का मुकाबला करने के प्रति दृढ़ संकल्प है श्रीर उसी दृढ़ संकल्प का यह द्योतक है। जब लड़ाई चलेगी तो दुश्मन के तौर तरीकों से जनता को नुकसान पहुंच सकता है, श्रीर उनके सामान को नुकसान पहुंच सकता है। जहा तक परसनल इंज्यूरी का सवाल है, किसी को चोट श्रा सकती

है, जख्म हो सकता है, कोई भ्रादमी रोजगार के लिये नाकाबिल बन सकता है, इन सब चीजों के लिये पहले विधेयक ग्रा चका है ग्रीर उसमे इन सब चीजों का इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन जहा तक तिजारत का सवाल है, व्यापार का सवाल है, व्यापारियों को अपना सामान इधर उधर भेजने में, ग्रगर सामान उनके पास रहता है तो बम गिर सकता है या किसी श्रीर तरह से नुकसान हो सकता है, श्राग लग सकती है अथवा टेन में कोई हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेट हो सकता है जिस से कि सामान नष्ट हो जाये। लडाई के जमाने में इस तरह की बात होने का हमेशा जोखम रहता है भ्रौर इन सब चीजों का बीमा करने के लिये यह विधेयक सरकार लाई है ताकि जनता को लडाई के जमाने में जो नकसान हो उसका उसे मश्राविजा मिल सके ।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पिछली लडाई में इंगलैंड मे इस चीज के लिये जिस तरह का विधेयक बनाया गया था उसी तरह की व्यवस्था इस विधेयक में रखी गई है। माननीय मंत्री जी ने खद बतलाया है कि गवर्नमेंट को इस बात का कोई अन्दाजा नहीं है, इस बात का कोई ग्रनमान नही लगाया है कि सामान का किस तरह से नुकसान होगा, कितने सामान का बीमा कराना पड़ेगा और उसके बदले में कितना रुपया देना पड़ेगा। इस वास्ते माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस विधयक में सरकार को यह सदन स्रधिकार देता है कि सरकार इस संबंध में योजना बनायेगी भ्रौर उस योजना में समय समय पर श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन करती रहेगी । किस समय किस चीज पर कितना ज्यादा प्री-मियम लेना चाहिये, ज्यादा लेना चाहिये या कम लेना चाहिये, यह सरकार बराबर देखती रहेगी श्रौर योजना में परिवर्तन करती रहेगी। सरकार जनता से ज्यादा प्रीमियम भी वसूल नहीं कर सकती है ग्रौर उसे कम प्रीमियम भी असूल नहीं करना चाहिये। गवर्नमेंट जनता के माल के नकसान होने पर जिस तरह से घाटे

की पूर्ति करने की बात सोच रही है, वहा तक यह स्कोम ठीक है।

मै कुछ बाते इस सम्बन्ध मे कहना चाहता ह। लोक सभा ने इस बिल मे बहुत सुधार किये हैं जैसा कि माननीय उपमत्री जीने बताया। पहले तो यह रखा था कि यह स्कीम गवर्नंमेट बनायेगी श्रौर वह क्या स्कीम होगी, लोक सभा के लोगो को या पार्लियामेट के मेम्बरो को उसका पता भी नहीं चलेगा और वह स्कीम के सम्बन्ध मे ग्रपनी राय नहीं दे सकेग। लेकिन लोक सभा मे इसमे यह एक सशोधन कर दिया गया है कि जो भी स्कीम गवर्नमेट बनायेगी श्रोर समय समय पर उस स्कीम मे जो परिवर्तन करेगी, वे सब दोनो सदनो के सामने रखे जायेगे श्रीर किसी भी माननीय सदस्य को यह श्रिधकार होगा कि उसमे परिवर्तन करने का वह प्रस्ताव सदन के सामने रख सके श्रौर प्रस्ताव के पास होने पर उस स्कीम मे उस तरह से परिवर्तन कर दिये जाय।

दूसरे, जैसा कि उन्होने बताया कि इश्योरेश का क्या प्रीमियम होगा, किस दर से प्रीमियम लेगे, उसकी भी पहले बिल मे कोई लिमिट या कोई मर्यादा नही बाधी गई थी कि उससे अधिक नही लिया जायेगा । लेकिन भ्रब इस बिल मे मर्यादा बाध दी गई है कि तीन प्रतिशत से ज्यादा प्रीमियम नही लिया जायेगा। तो यह बिल इस तरह से बहुत भ्रच्छ। हो गया है।

इस बिल के ग्रन्दर यह व्यवस्था है कि जितना नुक्सान होगा स्रौर जितने माल का उसने बीमा किया होगा, उसकी ५० प्रतिशत गवर्नमेट देने के लिये जिम्मेदार होगी। इस बिल के अन्दर जितने भी लोग सामान रखेगे ग्रीर उसका व्यापार करेगे, सामान इधर उधर भेजेगे, उनके लिये यह

ग्रनिवार्य होगा कि वे उसका बीमा ग्रवश्य कराये। यह भी बात समझने के लायक का बीमा कराना लाजिमी है कि लोगो होना चाहिये क्योकि ग्रगर कोई बीमा नही करायेगा तो ममिकन है कि केवल ऐसी चीजो का इश्योरेश हो जिसमे गवर्नमेट ही घाटा रहे ग्रीर उसको को घाटा प्राप्त कुछ भी न हो। पहले बिल मे यह रखा गया था कि जो छोटे छोटे व्यापारी है उनके व्यापार मे ग्रगर कुल ५० हजार का माल है तो उनको एक्जेम्प्ट किया जायगा स्रर्थात ५० हजार तक के माल वाली की बीमा कराने की जरूरत नही होगी। लोक सभा ने उसको ५० हजार से ३० हजार कर दिया। मैं समझताह कि लोक सभाने बिल ग्रीर सस्त बना दिया है। ऐसे छोटे व्यापारी होते है जिनका सामान एक जगह नही होता है बल्कि जिले भर मे उनका सामान होता है, कुछ इधर, कुछ उधर। भ्रब भ्रगर उनका सब सामान मिला करके ३० हजार रुपये से ऊपर का हो गया, तो उनको उसका बीमा कराना पहेगा । मैं समझता ह कि गवर्नमेट ने पहले जैसा भ्रपना विचार रखा था विशेयक पेश करते वक्त, वह ग्रगर ५० हजार ही रहता तो उसमे छोटे छोटे व्यापारियो को बीमा कराना लाजिमी नही होता।

फैक्ट्री के बारे में भी ऐसा ही है। जैसा कि उन्होने बताया, बिन्कूल दोनो बिल एक जैसे हैं। उसमे भी यह है कि इश्योरेस कराना लाजिमी है भ्रीर तीन परसेट उसमे भी श्रीमियम की सीमा रखी गयी है, तीन परसेट से ज्यादा नहीं होगा। इसके सम्बन्ध मे मझे यह अर्ज करना है. कि बीमा कराना हर एक फैक्ट्री के लिये म्रानिवार्य कर दिया गया है भ्रौर फैक्ट्री की परिभाषा वही दी गई है जा कि फैक्ट्री के अन्दर उसकी परिभाषा है। उसमे वे सब छोटे मोटे कारखाने श्रा जाते है जहा शक्ति का इस्तेमाल होता

[भी कृष्ण चन्द्र]

है, बिजली से या श्रौर किसी इंजन से काम होता है और दस भादमी काम करते **हैं। मान** लीजिये श्राटे की चक्की दस ग्रादमी काम करते है। उस बेचारे को भी श्रनिवार्य रूप से **बीमा** कराना लाजिमी होगा। जैसे व्यापार **के भन्दर** एक लिमिट उन्होंने बांघ दी है कि जिस व्यापारी का ३० हजार से ज्यादा का व्यापार होगा उसी को बीमा कराना भ्रनिवार्य होगा, ऐसे ही कारखानों के लिये, फैक्टीज़ के लिये भी अगर कोई लिमिट बांध दी जाती तो ज्यादा उचित होता। यातो पजी पर रख लेते यायह कर देते कि जिन कारखानों में इतने मजदूर काम करते हैं उनके अपर श्रनिवार्य होगा । जो स्कीम गवर्नमेंट बनायेगी. उस स्कीम में दोनों बिलों के रहेगी कि किस ग्रन्तर्गत यह व्यवस्था किस्म के सामान हों, गुड्स हों, जिनका बीमा कराना भ्रनिवार्य होगा । उनकी किस्म भ्रभी खोली नहीं गई है, खोलना गवर्नमेंट के लिये संभव भी नहीं था गवर्नमेंट को प्रनुमान नहीं है कि किस किस्म की चीजें होंगी क्योकि पहले लड़ाई का संचालन इस गवर्नमेंट ने किया नहीं। बिलकुल एक तरह से वह गवर्नमेंट के ऊपर स्कीम में लाने के लिये छोड़ दिया गया है। स्कीम के म्रन्दर यह रखा जायेगा कि किस किस किस्म के माल के ऊपर बीमा कराना लाजिमी होगा। मैं इस हाउस का बहुत समय न ले करके, भ्रन्त में यही कह देना चाहता हं कि ग्रगर संभव हो सके तो गवर्नमेंट यातो इस बिल में या स्कीम बनाते वक्त कम से कम छोटी फैक्टियों **के लिये, जिन फै**क्ट्रियों के ग्रस्दर पूंजी कूल ५० हजार की हो, जैसे वहारखा गया था, वैसे ही यहाकर दे कि ५० हजार तक की पंजी जिनकी हो उनको बीमा कराना ग्रनि-वार्य नही होगा, जैसी त्र्यापारियो के लिये बिल में व्यवस्था है कि छोटे व्यापारी भी

चाहें तो वह अपनी इच्छा से बीमा करा सकेंगे, उनके लिये अनिवार्य नही हो, ऐसी ही व्यवस्था छोटी फैंक्ट्रियो के लिये भी रखी जा सकती है। उनके लिये अनिवार्य नही होना चाहिये। मैं उम्मीद करता हं कि माननीय उपमंत्री जी या तो स्कीम में ऐसी व्यवस्था कर देंगे या अगर संभव हो तो हसी बिल में मंशोधन कर देंगे।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाष्ट्रयक्ष महोदय, जो बिल प्रस्तृत हये The Emergency Risks (Goods) Insurance Bill, 1962 ग्रीर Emergency Risks (Factories) Insurance Bill, 1962 ये दोनो संकटकाल की स्थिति के लिये बहुत भ्रावश्यक हैं। यह जो चीनी श्राक्रमण हमारे देश पर हुन्ना वह हम बुलाने नहीं गये ग्रौर दुर्भाग्य से उन लोगों पर ग्रसर हो रहा है जो यह नही चाहते कि हम पर ग्राक्रमण हो । उस ग्राक्रमण में सम्पत्ति भी नष्ट हो सकती है, कारखाने भी नष्ट हो सकते हैं, सामान भी नष्ट हो सकता है, कोई भी चीज नष्ट हो सकती है, यहां तक कि मनुष्य भी नष्ट हो सकता है। ये सारी बाते हैं श्रौर ऐसी स्थिति में जहां युद्ध का भय होता है, वहां दूर रहने वाले लोगों के हृदय में यह भाव पैदा होता है कि कहीं हमारा यह नुकसान न हो जाये श्रोर चाहे जितना दूर रहने वाला व्यक्ति हो उसके हृदय में एक ग्रराजकता का भाव पैदा होता है। एक प्रकार से दु:ख होता है कि जो संकट श्राया है उसमें हमारा नुकसान न हो जाये। इस भावना का उस क्षेत्र पर या उससे लगे हुये क्षेत्र पर ऋधिक ग्रसर होता है जहां पर कि ग्राक्रमण हो । उस भावना मे कुछ कमी लाने की दृष्टि से यह जो बिल लाये गये है, उनकी जहां तक योजना का सवाल है वह बहुत प्रशंसनीय है ग्रौर यह स्कीम सोशल वैलफेयर स्टेट का नारा लगाने वाली सरकार ने या श्रपनी कही जाने वाली सरकार ने लाग किया है ।

7Emergency Risks (Goods) [10 DEC Insurance Bill, 1962

श्री सोनूसिह धनसिह पाटिल (महाराष्ट्र): खाली नारा नहीं लगाते हैं, काम करते भी हैं।

श्री विमलकुमार मन्तालालजी चौरिं इया. कार्यरूप में तो बहुत दूर हो, सरकार क्योंकि जो इक्वेलिटी का श्रापका नारा है वह पूरा हुआ नहीं । सोशल वेलफेयर का नारा लगाते हो लेकिन वेलफेयर ग्रलग चला जाता है श्रीर सोशल ग्रलग चलता है । वेलफेयर चला जाता है बडे लोगों के साथ श्रीर सोशल रह जाता है खाली।

यह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक या कि इस तरह की कोई योजना कार्य रूप मे परिणत करते जिससे कि लोगों के ह्रदय मे इस प्रकार की भावना हो और जो ग्राक्रमण की वजह से, यद्ध-जन्य-स्थिति की वजह से पैदा हो गई है उस पर उनका नियंत्रण हो सके ग्रौर उनके मन में कुछ यह भावना पैदा हो कि श्रगर हमारा नकसान हुआ तो हुमारी सरकार कुछ करेगी, हमको कुछ कम्पेनसेट कर देगी, ऐसी भावना पैदा हो। यह नकसान केवल केन्द्रीय सरकार को भरना है ऐसा नहीं है, यह सारे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है कि उस नुकसान की पूर्ति करे। ग्रगर इस स्कीम के अन्तर्गत हमारी सरकार यह मान कर चले कि इसे हमे एक प्राफिटेबिल बिजनेस बनाना है या जितना प्रीमियम ग्रायेगा उसीके ग्राधार पर काम हो--जो कि नही है---तो वह हमारे लिये बड़ा घातक सिद्ध होगा ग्रीर देश के दूसरे हिस्से के लोगों के लिये भी एक ग्रपमान की बात होगी । ग्रगर किसी क्षेत्र मे या किसी गाव में एक तरफ ग्राग लगती है ग्रीर दूसरी तरफ का ग्रादमी यह विचार करता है कि भ्राग तो बहुत दूर है उसके ग्राने मे टाइम लगेगा इसलिये मैं क्यो बुझाने जाऊ ग्रौर हृदय मे यह भावना ले कर के वह चुपचाप बैठा रहता है तो वह स्राग उसको भी निगल लेती है 1962] Emergency Risks (Fac- 3718 tories) Insurance Bill, 1962

उसके मकान को भी स्वाहा कर देती है। तो यह जो हमारी भारतमाता के सिर पर, मकुट पर हुआ है उसके लिये भ्रगर दक्षिण का रहने वाला या गजरात का रहने वाला या महाराष्ट का रहने वाला या और कोई यह सोचे कि यह धाक्रमण तो केवल उत्तर वालो पर है, उन तक ही सीमित है, या उसका नुकसान उन्हें ही उठाना ह वही उठाये हम लोगो को उससे कोई मतलब नही है, भ्रगर यह भावना मन मे रहती है तो हम जो एकात्मकता का भाव पैदा करना चाहते है, जो भारत को एक उकाई के स्वरूप में बना कर रखना चाहते हैं उसमे बडी कठिनाई गायेगी भ्रीर उस फठिनाई को दूर करने के लिये यह भत्या श्रावश्यक है कि सारा भारतवर्ष काश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक यह महसूस करे कि जो ग्राफत ग्राई है वह केवल एक भोत्र के लोगो पर ही नहीं है बल्कि हम मब पर है और हम सब को मिल कर के वहा जो कुछ नकसान होता है उसमे हिस्सा बटाने की कोशिश करना है। यह हमे लोगो को गाव गाव मे जाकर बताने की जरूरत भी नहीं है क्यों कि भारत वर्ष की जनता ने भ्रपने त्याग से ग्रीर भ्रपने सहयोग से यह स्पष्ट बता दिया है कि हम प्रपनी सरकार के साथ हैं। जो भी निर्णय इस सम्बन्ध में सरकार लेगी उसके साथ वह कवा से कवा भिड़ा कर धार्ग बढ़ने को तैयार हैं। पैसा देने को हम तैयार हैं, खुन देने को हम तैयार हैं, मोर्चे पर जाने को हम तैयार हैं। हमारे यहा एक छोटा सा बाह्मण था, उसने जहा सुना कि लडाई शुरू हो गई है तो वह मुझ से कहने लगा कि भाई साहब, किसी तरह से व्यवस्था करके मेरे को मिलीटरी मे भिजवा दीजिये, मेरे को तो रात मे नीदभी नहीं आती है । ऐसे एक नही, कई गाव मे कई उदाहरण होगे । मैं एक छोटे से गाव का उदाहरण देता हं जहा की बस्ती केवल १२०० की है। वह यह कहते हैं कि हम लड़ाई पर जाने को तैयार हैं। कई ग्रीर लोग हैं जिनका उदाहरण दे कर मैं सदन का समय नष्ट नही करना चाहता [श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरिडिया]
लेकिन कई लोगो के हृदय मे यह भावना है
कि यह जो ग्राफत ग्राई है वह केवल ग्रासाम
के लिये या उत्तर प्रदेश के लिये या काश्मीर
के लिये या पजाब वालो के लिये नही ग्राई है
बल्कि सारे भारतवर्ष के लिये ग्राफत है ग्रीर
यह जो ग्राग लगी है उसको रोकने के लिये
हमको भी त्याग करना पडेगा, हमको भी
सहयोग देना पडेगा ग्रीर उसके बिना यह ग्राग
बझ नही सकती है।

तो एक काम यह भी है कि जिनकी वहा पर जायदाद है, जिनका वहा पर कारखाना है--- पर्सनल इजरीज़ के बारे मे तो हमने अलग कानुन पास कर लिया है मगरजहा तक जायदाद का सवाल है, फैक्टरीज का सवाल है -उसके लिये यह भ्रत्यत ग्रावश्यक है कि हम इस तरह का एक विधेयक बना कर के उसे कानून की शक्ल दे ताकि हम उनके मन मे यह भावना पैदा कर सके कि यह न्कसान हमारा प्रकेले का नहीं है बल्कि सारे भारत-वर्ष का है। जिस तरह से कि कई लोग मिल कर के अगर कही किसी का नकसान होता है तो उसके नकसान की पूर्ति करते है- किसी ग्रश तक उसकी पूर्ति करते है- जैसे कि पहले कुटुम्ब-सहयोग की योजना चलती थी कि किसी कुटुम्ब की क्षति होने पर अन्य कुटुम्ब के लोग मिल कर के नुकसान की पूर्ति करते थे भौर जैसा कि म्राज भी गावों मे यह प्रथा है कि ग्रगर बिरादरी का कोई ग्रामदमी, कोई बुढा मर जाता है, हेड श्राफ दि फेमिली मर जाता है, तो उसके श्रास पास के, उसके रिव्ते-दार, सब लोग पगडी बधन की कार्यक्रम करते है भ्रौर इस पगडी बधन के कार्यक्रम मे एक रुपया, दो रुपया, या तीन रुपया या जिसे जो भी देना होता है वह देता है, इस स्राशय से देता है कि इसके पिता की मत्यु हो गई है ग्रौर यह अपने श्रापको असहाय महसूस करके दृ:खी न हो जाय, यह योजना हमारे यहा पर वर्षों से चली ग्रा रही है, इसी ग्राशय से कि उसके नकसान की पूर्ति हो- वैसे उसके

बदले मे वह यह नहीं सोचता कि यह भी मुझे देगा, मेरा नुकसान होने पर उसके पूरा करने के लिये देगा— वह तो एक दूसरे की मदद करने के लिये, एक दूसरे के सहयोग के लिये देते हैं और एक दूसरे की सहायता के लिये वह कार्यवाही करते हैं—तो वह भावना हमारे मन मे, जन जन के मन मे केवल कानून के आधार पर नहीं बनी हुई है, वह तो सस्कार के रूप में हम लोगों की भावना बनी हैं और उसी सस्कार के आधार पर ग्राज सारा देश एक साथ खड़ा हो गया है, उत्तर से दक्षिण तक पूर्व से पिंचम तक, कि यह जो आफत आई है इसका मुकाबिला हम डट कर करंगे।

ग्रब विधेयक मे बीमा कराने की जो व्यवस्था रखी है ग्रौर उस व्यवस्था मे जो प्रीमियम रखा है उसके बारे मे भी मुझे कुछ निवेदन करना है। पूर्व मे जो वक्तव्य दिया वह इस ग्राशय से दिया कि हमारी सरकार यह महसूस करे कि उसको ऐसी व्यवस्था करनी है कि वहा के लोग यह महसूस न कर सके कि कम्पलसरी इक्ष्योरेश के द्वारा सरकार हमारे ऊपर एक जबरदस्ती का टैक्स लगा रही है। जो इस्थोरेश के महत्व को नहीं समझते वे ऐसा सोच सकते हैं कि पहले तो चीनियो ने हमे गोली भारी श्रौर ग्रब ये चादी की गोली से हमको मारने के लिये तैयार हो गये है यानी हमसे पैसा वसूल करने को तैयार हो गये हैं। ऐसी स्थिति मे मैं प्रार्थना करूगा कि हमारी सरकार को यह विचार करना चाहिये कि हमे प्रीमियम कितना देना है। वैसे ३ प्रतिशत का बताया है लेकिन मैं प्रार्थना करूगा कि इसको इससे भी कम करना चाहिये। हमे यह एक नामिनल, नाममात्र का रखना चाहिये ताकि जो कार्य वगैरह भर कर देना है उसकी व्यवस्था हो सके भ्रौर उसके मन मे यह फीलिंग भी रहे कि हमें कुछ देना पड रहा है, बिल्कुल मफ्त में ही काम नहीं हो रहा है। देने की फीलिंग रखने वे लिये इसमे एक नाममात्र का प्रीमियम रखना चाहिये न कि इस दिष्ट से रखना चाहिये कि उससे

हम अधिक से अधिक प्राप्त करे। मेरे मत में स्रभी जो रखा गया है वह कुछ स्रधिक रखा गया है। मैं मत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह यह भावना उनके हृदय में नही ग्राने दे कि हमसे जो वसुल किया जा रहा है उतना ही नुकसान हमको मिल जायेगा उससे ज्यादा मिलने वाला नही है। उनको भारत के प्रन्येक कोने से जनता मदद देने के लिये इंकार नहीं कर रही है स्रौर अगर हम उन पर कुछ पैसा टैक्स के रूप मे या प्रीमियम के रूप में लगाते हैं– जो कि वे टैनस के फार्म में ही समझेगे– तो उनके हृदय मे एक गलत भावना पैदा होगी श्रौर हम उनको जो लाभ देना चाहते है वह नही दे सकेगे। हमे तो उन्हे यह बता देना चाहिये कि भारत के दूसरे हिस्से के जो नागरिक हैं ते तुम्हारे साथ हैं ग्रीर तुम्हें सहयोग देने को तैयार हैं स्रौर वे यह भावना रख कि उनके नकसान में हमारा नकसान है, उनवी हानि मे हमारी हानि है। तो इस दुष्टि से बीमा करने का जो प्रीमियम हमारी सरकार रखना चाहती है उसे और कुछ कम करते का प्रयास किया जाना चाहिये ।

श्रव रहा सवाल यह कि नुकसानी होने पर कम्पेनसेशन देने के बारे में क्या व्यवस्था हो । भगवान ऐसी स्थिति न लाये कि नुकसान देने की बात हो लेकिन ग्रगर कभी दुर्भाग्य से नुकसान भी हो तो फिर हमारी सरकार को इस मामले में कोई ढील बरतने की म्रावश्यकता नही है, उसको इन केसेज का निर्णय बहुत जल्दी श्रौर बहुत उदारता-पूर्वक करना चाहिये । यह नही हो, जसा कि स्रभी तक का श्रनुभव है, कि रेड-टैपिज्म में एक केस चला गया तो ऊपर से नीचे एक क्वेरी लग कर भाया ग्रौर फिर नीचे से ऊपर गया तो एक दूसरी क्वेरी लग दो इसका इसका क्या मतलब था भ्रौर इस तरह वह कैस ऊपर से नीचे चलता है स्रौर एक क्वेरी के बाद दूसरी क्वेरी लगती रहती है, तो यह जो कार्यालयों मे रेड-टैपिज्म का हिसाब देखते है वैसा इस मामले में न हो। हमको एसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि निर्णय लेने मे देरी न हो सके श्रौर सब काम शीघातिशीघ निबटाया सके। ग्रौर उनको जो धन मिलना वह मिल जाये भ्रौर उनको इसके लिये कोई चक्कर न लगाना पड़े जैसा कि हमारे बहुत से पुरुषार्थी भाइयों के बारे मे हम्रा है, जिनको पाकिस्तान से ग्राये कितने ही वर्ष हो गये हैं लेकिन ग्रभी तक व क्लेम के बारे मे चिट्टियों पर चिद्रिया लिखा करते हैं। मैं भी एक गाव में रहता ह स्रौर वहां पर कुछ पुरुषार्थी भाई ग्राये है। एक भाई ने मुझसे कहा, टूटी फूटी हिन्दी ग्रौर टुटी फुटी पंजाबी में कहा कि मैंने इतनी ऋजिया दी स्रभी तक निकाल नही लगा । वे कहते है रोहतक से एसा नहीं ग्राया, दिल्ली के क्लेम ग्राफिसर से उत्तर नही म्राया । वह यहा से परेशान होकर भ्राये भौर हम यहा उनको सिन्सेयरली जो देना चाहते है वह ग्राफिशियल चक्कर में पड कर दे नही पाये स्त्रीर जो हम बिल्कुल ग्रच्छे रूल्स, ग्रच्छी नीयत से कानून पास करके सारे श्रिधकार मरकार को देकर उनके हाथ में सौपते है कि उनको लाभ पहुंचाए, उनको नुकसान न होने दें, इसके बावजूद हम देखते है कि वह लालफीताशाही में ऐसा मामला फंस जाता है कि जो लाभ उनको मिलना चाहिये वह मिल नही पाता श्रौर इसलिये इस बात का ग्रत्यन्त ध्यान रखने की ग्रावश्यकता है कि हमारी सरकार इस बात पर घ्यान दे कि जब हम उनको कम्पेन्सेंट करने वाले हैं---उसमें डिले न हो--नही तो अगर वहा से हुमला हुआ हम नही चाहते ऐसा हो, हम कल्पना भी नही करना च।हते---श्रौर कोई उनकी जायदाद नष्ट कर दे, भ्रगर कहीं ऐसा दुर्भाग्य से हम्रा भौर वे बेचारे भाग कर, कारखाने छोड कर बम्बई चले गये तो वहां से पत्र व्यवहार करते रहें तो यहां जो लखपति रहे हो वहां वे फुटपाथ के स्रादमी बन जायें। ऐसी स्थिति में हम उनको, जैसे पुरुषार्थी लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मे डाल दिया [श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरिडिया] या वैसी स्थिति में डाल दें तो उससे बुरी बात कोई नहीं होगी ग्रीर इसलिये इसक: सेफगार्ड करना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। यदि हम सेफगार्ड नहीं करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य विधेयक को पास करने का है उसको पूरा करने में हम सफल नहीं हो सकेंगे।

इन दो सुझावों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय इन दोनों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करेंग। कम्पलशन की जो भावना है उसको जरा भी नहीं ग्राने दें। कंपलशन भी हो तो नामिनल पेमेंट उनसे लिया जाये, बाकी ग्राप चाहे दूसरे फंड ले लीजिए। मुझे ग्राशा है कि संसद के सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि उनको किसी तरह की हीनता की भावनायें श्रकेलेपन भावना कि ग्रकेले हम पर ही ग्रापत्त ग्राई है नहीं ग्रानी चाहिये। उनमें एकात्मता की ग्रीर एकमूत्रता की भावना उत्पन्न करनी चाहिये ग्रीर यह श्रत्यन्त ग्राव- श्रवक है कि हम योजना को इस ढंग से ग्रमल में लायें कि हम ग्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें।

شری عبدالغلی (پلتجاب): وائس
جهرمین صاحب - میں پربہو کا
شکرگذار هوں که جہاں هم پر ایک
بوی مصهبت آئی که چین والوں نے
زیادتی کی همارے ارپر اور ولا حمله
کرکے آ گئے لیکن اس میں بھلائی بھی
هوئی -

ددخدا شرے بر انگیزد که خیر ما در آن باشد - ee

کبھی کبھی پری بات سے اچھی بات بھی پیدا ھو جاتی ھے - ھمابی سرکار چوکلی ھو گئی ھے اور انتہائی کرھش کو رھی ھے که ھر طرح سے ھر طریقہ سے اس جارجانہ

کارروائی کے خلاف هم هتههار برتیں -مجھے خوشی ہے که سرکار چاروں اور نکے نکے بل لائی ہے تاکه اس ایمرجد۔ی میں عرام کی اور دیش کی زیادہ سے زياده خدست كرسكي - مهن أنه آئريبل ممهر کے ساتھ جلہوں نے یہ کہا کہ پچاس ہزار کے بجائے تیس **ھزار کی لست کرکے سرکار نے اور** ستفت كر ديا انشورنس في لئے تو میں کچھا موں که سرکار نے یہ بڑا اچھاکھا كهور أجها كها وأئس بهيومهن صاهب اس ولت جهار مدين اجمع يراجم اسلطه کی ضرورت ہے جہاں ہمیں ابي فوجهوں کے لئے اچھ سے اچھے سامان کی ضرورت ہے۔ وہاں۔ ہمیں غلے کی بھی ضرورت ہے دیونہ اللہ کی سیائی کے بغیر کوئی فرج لو نہیں سکتی -کسی دیش میں جہاں فله کی حفاظت نه هو وهال ايسے حالات مهل امن نههن ولا سكتا - جب ان ير هابلدی هوگی که ولا از و نس¶گرائیس − ایسا کرنا ان کے لگے لازم ہوگا تو میں سمجهتا هرن اک اس کے دو فائدے هونگے ایک تو یہ که وہ نیادہ دیر تک کے لئے ایے پاس اس اناج کو رکھیلگے نہیں نکاللے کی کوشش کریلکے دوسرے یہ که جوں هی ولا انھورنس کرائینگے سرکار کے علم میں آ جائیکا اور سرکار کو بچی آسانی هو جائیکی که ولا وقت ضروت اس فله كو التعمال کرسکے۔

هاں ایک مشکل بھی آتی ہے اور وا همارے بھارت نے پرائم منسلر صاحب ان کے ساتھ پووی ھاست کے ساتھ اور کا ھے فیکٹریز کے سلسلہ عین - دس بھائیوں کے کام کرنے سے جہاں آزیادہ کام مقابله كرنے جا رہے هيں - اگر ضرورت پریگی دو انه دید کی آنر کو هم هوتا هے رهال کورنمات چاهتی هے که ولا أشورنس كوانهن لهكن مهربي مشكل نہیں بھائینگے دیش کی آنو ہر ہم مت جائينكم همت سر لويلكم - ايسي کیا ہے یہ میں مرض کروں که دیش مهن ايسي هزارها فيكتريز ههن جهان صورت میں اور بھی زیا۔ ا ضرورہ ہو دس أدمى تو كام كرتے هيں ليكن ان کہا ہے کہ سوکار انشورنس کے لئے كا سرسايه پائيم هزار كا بهي نهين هوتا فهکتریوں اور دوسرے لیگوں کو کھے جهسے چموے کا کام کرنے واتے و لکوی کا . چاهے ولا فلم والے هوں یا اور کوئی -اس کو کوئے مشکل آلے کہ اس کو کام کرنے والے اور جیسا که انہوں نے بتایا **گرائهلڈنگ کا کام کرنے والے یا اس طرح** ريفلق كوانا هوے تو ولا بھی وار لهول ير هونا جاهئے۔ ميں چورتيا صاحب كے کی دسیوں فیکنریاں ھیں جن کے ياس سرماية كجه نهيى هوتا بجلى خیال سے متنقق هوں که اگر اس وقت يهي وهان استعمال هوت عي وهان ولا رياتي ڏيهڙم جو عام عادت هو گئي آدمی بھی بہت زیادہ ھوتے ھیں ان کے تھی ۔ آب تو سرکار نے اس پر کافی لئے واقعی مشکل هو جائیگی که ولا قابو یا لیا هے اور آئیلد، بی قابو ہائے انشورنس کا بوجه ایے سر پر لیں وہ کی کوشھ کر رھی ھے ۔ گر اس نہیں لے سکیلگے - اس لئے میں طرے رید ٹیپزم چلے تو مجد در ہے کہ ساکار سے آپ کے دوارا عوض کوت ھی اس سے ملک میں جو جوہں جو صدق كة جبب ولا رولز اسكيم بدائين تو اس دار ، جو جذبه هے اس بات کا که مهر ان لوگون پر بوجها نه بدائین -سرکار کے ہانھ مظہوط ہوں اس میں ان لوگوں پر ان فیکٹریوں پر بوجھ نم وگهرن پويكا - تو اس لئي سرار جب يه ةالين جن كا ساماية بهت كم هي اسكيم بدائے تو اس ميں اس بات كي ارر ولا مل جل کر تهروا کام جلاتے طرف بھی دھیاں دے کہ ایسی بات ھين -نہ ہونے پائے مس سے ملک میں کسی طرح کی بھی ہے۔ چی**نن**ی ہو ۔ مجهے وائس جهرمین صاحب میں اس خیال سے بھی مفق عوں

که سرکار لوگوں کے دال ہیں یہ بات

ند آیے دے کہ یہ زبردسای ان کے آرہر

الشورنس کی زیادتی هے کیونکہ اس

یه بهی عرض کونا هے که جب سرکار اس طرف دهیان دے رهی هے تو یقیناً خد ن کرے جیسے پهر چاندا ایدی ستیدڈ بدل رها هے ارد

[شري مبدالغلي]

سے کوئی بھلا عونے والا نہیں ھے - لھکن میں یہ بھی مائٹا ھوں که اس وقت سرکار جس طریقه سے بھی زیادہ سے زیادہ فلڈ سے ایلی پشت بلدی کرسکے جس ريزن ايبل ال طريقة سے ولا زيادة سے زیا۔ 8 روپیت حاصل کر سکے ولا اسے کرنا هی چاهنے،- اور میری هر طرح کی سبپیتهی، هر طرح کی اچهی بهاویا سرکار کے ساتھ ھوگھی کھونکھ آخر ﷺ سرکار جو لونی هے تو وہ لوتی هے تین باتوں یر ایک یه که سارا ملک اس کی یدت پر هو اس کے پاس اچھی سینا هو اچه أفيسر هول جاه ولا سول کے هوں ملتوی کے هوں جو اسے دیش کی حفاظت میں سرکار کا پورا پورا ساته دی سکهن - تهسرایه که روپیه هو - تو ووپيه ۾ لکي سرکار جو بهي سادهن چاهیگی اس کو مهیا کریے میں هم مدد کرینگ<u>ہ</u> - اس میں پورا پورا سرکار کا ساتھ دینگے - لیکن محجهے عرض يه كرنا هے وائس چيرمين صاحب كه سركار آايد ا قانون جب الأيد تواس کی کرشص یہ رهنی جاهئے که دونوں سائڈس اس کے ساملے وہوں -ایک یہ هے که اسرجاسی کو کیسے میت کرنا ھے اور دوسرم طرف یہ عوام جس کو تیفنس آف اندیا بل یاس کرکے هم نے اس کی زبان پر تالا لگایا اس لئے که دیش کا بہلا هو ، هم نے ان کی سرگرمیوں پر پاہدی لگائی ھے اس

لئے کہ دیش کا بھلا ھو۔ ان کے دماغ میں اگر یہ بات آئے کہ سرکار ان کے اوپر کوئی چیز زبردستی تھوپنا چاھتی ہے تو یہ بادیں سرکار کے حق میں نہیں جائینگی دیش کے حق میں نہیں جائینگی۔ تو مجھے امید ہے کہ سرکار دونوں طرف دھیاں دیگی روپیہ بھی اکتہا کریگی لیکن لوگوں کے دلوں میں بے چیلی نہ پیدا ہونے دیگی۔

†[श्री श्रब्दुल गनी (पंजाब)]: वाइस चेयरमैन साहब, मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूं कि जहां हम पर एक बड़ी मुसीबत ग्राई कि चीन वालों ने ज्यादती की हमारे ऊपर ग्रौर वह हमला करके ग्रागये लेकिन इसमें भलाई भी हुई :

> ख़दा शर्रे बरश्रंगीजद कि ख़ैरे मा दरां बाशद

कभी कभी ब्री बात से श्रच्छी बात भी पैदा हो जाती है। हमारी सरकार चौकन्नी हो गई है भ्रीर इन्तहाई कोशिश कर रही है कि हर तरह से हर तरीके से इस जारहाना कार्यवाही के खिलाफ़ हम हथियार बरतें। मुझे खुशी है कि सरकार चारों स्रोर नये नये बिल लाई है ताकि इस इमरजेंसी में स्रावाम की ग्रीर देश की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकों । मैं अपने भ्रानरेबल मेम्बर के साथ जिन्होंने यह कहा कि पचास हजार के बजाय तीस हजार की लिमिट करके मरकार ने म्रोर सख्त कर दिया इन्हरोरेंश के लिये तो मै कहता हं कि सरकार ने यह बड़ा अरच्छा किया। क्यों ग्रच्छा किया वाइस चेयरमैन साहब। इस वक्त जहां हमें ग्रच्छे से ग्रच्छे ग्रसला की जरूरत है जहां हमें भ्रपने फौजियों

^{†[]} Hindi transliteration.

के लिये श्रच्छे से श्रच्छे सामान की जरूरत है वहा हमे गल्ले की भी जरूरत है क्यों कि गल्ले की सप्लाई के बगैर कोई फौज लड़ नहीं सकती। किसी देश में जहां गल्ले की हिफाजत न हो वहां ऐसे हालात में श्रमन नहीं रह सकता। जब उन पर पाबन्दी होगी कि वह इन्ह्योरेस कराये, ऐसा करना उनके लिये लाजिम होगा तो मैं समझता हू कि इसके दो फायदे होगे एक तो यह कि वह ज्यादा देर तक के लिये श्रपने पास इस श्रनाज को रखेगे, नहीं निकालने की कोशिश करेगे। दूसरे यह कि ज्योही वह इन्ह्योरेस करायेगे सरकार के इतम में श्रा जायेगा श्रीर सरकार को बड़ी श्रासानी हो जायेगी कि वह वक्त जरूरत इस गल्ले को इस्तेमाल कर सके।

हा, एक मुश्किल भी आती है वह है फॅक्टरीज के सिलसिले मे । दस भाइयो के काम करने से जहा ज्यादा काम होता है वहा गवनंमेट चाहती है कि वो इन्क्योरेस कराये लेकिन मेरी मुश्किल क्या है यह मे भ्रजं करू कि देश मे ऐसी हजारों फैक्टरीज है जहा दस ग्रादमी तो काम करते है लेकिन इन का सर्माया पाच हजार का भी नही होता । जैसे चमडे का काम करने वाले लकडी का काम करने वाले और जैसा कि बताया ग्राइडिंग का काम करने उन्होने वाले या इम तरह की दिसयो फैक्टरिया है जिनके पास सर्माया कुछ नही होता बिजली भी वहा इस्तेमाल होती है वहा ग्रादमी भी बहत ज्यादा होते हैं उन के लिये वाकई महिकल हो जायेगी कि वह इन्ह्योरेस का बोझ ग्रपने सिर पर ले वह नहीं ले सकेंगे। इसलिये मैं सरकार से श्रापके द्वारा श्रर्ज करता ह कि जब वह रूल्ज स्कीम बनाये तो उसमे उन लोगो पर बोझा न बनाये। उन लोगो पर उन फैक्टरियो पर बोझा न डाले जिन वा सर्माया बहुत कम है ग्रीर वह मिल जल कर थोडा काम चलाते है।

मुझे वाइस चेयरमैन साहब यह भी श्रर्ज करना है कि जब सरकार इस तरफ

ध्यान दे रही है तो यकीनन-खदा न करे जैसे फिर चाइना भ्रपनी स्टैन्ड बदल रहा है और हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ पूरी हिम्मत के साथ उनका मकाबला करने जा रहे है---भ्रगर जरूरत पड़ेगी तो ग्रपने देश की ग्रानर को हम नही भलायेगे देश की ग्रानर पर हम मिट जायेगे, हिम्मत से लडेगे । ऐसी सुरत मे श्रौर भी जरूरी हो गया है कि सरकार इन्द्रयोरेस के लिये फैक्टिंग्यो ग्रौर दूसरे लोगो को कहे चाहे वह गल्ले वाले हो या ग्रौर कोई । उसको कोई मश्किल श्राये कि उसको रिफन्ड कराना पड़े, तो वह भी वार लेबल पर होना चाहिये। मैं चौर-डिया साहब के खयाल से मत्तफिक ह कि ग्रगर इस वक्त वह रेड टैपिज्म जो ग्राम श्रादत हो गई थी ग्राज तो सरकार ने उस पर काफी काब पा लिया है और श्राइन्दा भी काब पाने की कोशिय कर रही है। ग्रगर इस तरह रेड टैपिज्म चले तो मझे डर है कि उससे मुल्क मे जो जोश, जो सदकदिली, जो जज्बा है इस बात का कि सरकार के हाथ मजबत हो उस मे विध्न पडेगा । तो इसलिये सरकार जब यह स्कीम बनाये तो उसमे इस बात की तरफ भी ध्यान दे कि ऐसी बात न होने पाये जिससे मल्क मे किसी तरह की भी बेचैनी हो। मै इस खयाल से भी मृत्तफिक हु कि सरकार लोगो के दिल में यह बात न ग्राने दे कि यह जबरदस्ती उनके **अपर इन्ह्योरेम की** ज्यादती है क्योंकि उससे कोई भला होने वाला नही है। लेकिन मै यह भी मानता ह कि इस वक्त सरकार जिस तरीके से भी ज्यादा से ज्यादा फड से ग्रपनी पृश्त-बन्दी कर सके जिस रिजनेबल तरीके से वह ज्यादा से ज्यादा रुपया हासिल कर सके वह उसे करना ही चाहिये । श्रीर मेरी हर तरह की सेम्पेथी, हर तरह की ग्रच्छी भावना सरकार के साथ होगी, क्योंकि अखिर मरकार जो लडती है तो वह लडती है तीन वातो पर, एक यह कि सारा मुल्क उसकी

3731 Emergency Risks (Goods) [RAJYA SABHA] Emergency Risks (Fac- 3732 Insurance Bill, 1962 tories) Insurance Bill, 1962

[श्री प्रब्दुल गनी]

पूरत पर हो उसके पास अच्छी मेना हो श्रच्छे श्रफसर हों चाहे वो सिविल के हों या मिसिटरी के हों जो भ्रयने देश की हिफ़ाजत में सरकार का पूरा पूरा साथ दे सकें। तीसरा यह कि राया हो । तो रुपये के लिये सरकार जो भी सावन चाहेगी मुहैया करने में हम मदद करेंगे उसमें पूरा पूरा पूरा सरकार का साथ देंगे। लेकिन मुझे अर्ज यह करना है वाइस चेयरमैन साहब कि सरकार ऐसा कानून जब लाये तो उसकी यह रहती चाहिये कि दोतों साइड्स उसके सामने रहें। एक यह कि इमरजेन्सो को कैसे मीट करना है ग्रीर दूसरी तरफ यह भ्रवाम जिसको डिफेन्स माफ इंडिया बिल पास कर के हमने उसकी जबान पर ताला लगाया इसलिये कि देश का भला हो हमने उनके सर्गामयों पर पाबन्दी लगाई है इसलिये कि देश का भला हो। उनके दिमाग में ग्रगर यह बात ग्राये कि सरकार उनके ऊपर कोई चीज जबरदस्ती थोपना चाहती है तो ये बातें सरकार के हक में नहीं जायेगी। देश के हक में नहीं जायेगी। तो मुझे उम्मीद-है कि सरकार दोनों तरफ ध्यान देगी। प्रिया भी इकट्ठा करेगी लेकिन लोगों के दिलों में बेचैनी न पैदा होने देगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 11th December, 1962.